संख्या : 41 /श0वि0/आ0-04-57(सामान्य)/2003

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग देहरादून, दिनांक 1 जनवरी 2005 दिसम्बर, 2004

विषय : जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बलियानाले के लाइनिंग एवं सुरक्षात्मक कार्यों की योजना के फेज-2 हेतु वित्तीय वर्ष-2004-2005 में धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव,सिंचाई विभाग,उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या-1499/ II/2004-04-(44)03, दिनांक: 05 अप्रैल,2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल में बलिया नाला के सुरक्षात्मक कार्यों की योजना के अन्तर्गत फेज-2 के अन्तर्गत संलग्न विवरणोनुसार कार्यों हेतु प्रेषित रू0 345.63 लाख के आगणन के पुनर्वास हेतु रू0 121.74लाख को कम करने के उपरान्त रू0 223.89लाख (रू0 दो करोड़ तेइस लाख नवासी हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। योजनापुर्ण करने अथवा धनराशि उपयोग न होने के कारण यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिये किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा मे धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जा सकेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर सम्बन्धित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीक दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टयों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(4) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी ।

(5) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित किया जाये। एक मुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किस तकनीक अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता तीन बराबर किश्तों में आहरण किया जायेगा और पूर्व स्वीकृत किश्त के 80 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त ही आगामी किश्त का आहरण किया जायेगा।

(7) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

(8) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

(9) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा अवश्य करा लिया जाये एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाये।

(10) निर्माण कार्य पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये, तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(11) कार्य पूर्ण होने पर 31–3–2005 तक उक्त कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(12) कार्यो की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभाग/निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। कार्य की समयबद्धता हेतु जिलाधिकारी,निर्माण ऐजेन्सी से अनुबन्ध करके उन पर पैनाल्टी क्लाज लगाये जाने पर भी विचार कर सकते हैं।

(13) आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण विभाग द्वारा मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(14) उपकरणों/सामग्रियों आदि का डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर अथवा टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश सं0–03–वित्त विभाग/टी0ए0सी0–अनुभाग देहरादून दिनांक 23–10–2003 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(16) कार्य कराने से पूर्व स्थल का संयुक्त निरीक्षण भू–गर्भवेत्ता से करा लिया जाये एवं भू–गर्भवेत्ता द्वारा दी गयी राय एवं निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर ही कार्य किया जाये तथा भूकम्प उपचारों को ध्यान में रखा जाये ताकि बाद में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

2. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्यय के अनुदान सं0–13–लेखा शीर्षक 2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास (क्रमशः)–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–आयोजनागत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–03–नैनीताल क्षेत्र की झीलों तथा बलिया नाले के सुधार एवं संरक्षण (70 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0: 2192/वि0अनु0–3/2004, दिनांक: 23 दिसम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

संलग्नक – यथोपरि ।

(डा0 एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

संख्या : (I)/श0वि0/आ0–03 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), लेखा परीक्षा उत्तरांचल, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, नैनीताल।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, नैनीताल।
6. नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
8. बजट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
9. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव

NIL

संख्या : /v/आ0–03–57(सा0)/03 दिनांक दिसम्बर, 2004 का संलग्नक ।

क्रम सं0	योजना का नाम	विभाग द्वारा प्रेषित आगणन की कुल लागत	टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरांत आकलित एवं स्वीकृत की जा रही लागत
1	2	3	4
1.	बेड डिग्रेडेशन मिटिगेसन कार्य।	93.46	93.44
2.	फेयरीहिल टाप पर अतिरिक्त सुरक्षा कार्य एवम् नाली निर्माण	101.82	101.80
3.	नैनीताल झील के आउट ले के साथ बलिया नाला का चैनलाइजेशन	28.65	28.65
	कुल योग	223.93	223.89

(रूपये दो करोड़ तेइस लाख नवासी हजार मात्र)

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)

अपर सचिव।